सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2132/MCOL/6/2025-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

आयुक्त,
कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन
कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड का कार्यालय,
पुलिस लाइन, धनबाद-826001
(झारखंड)
ईमेल: commissioner@cmpfo.gov.in

विषय: **कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (कोयला मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन) के बिलासपुर (छत्तीसगढ़) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में तबादले के खिलाफ शिकायत - श्री शिशिर प्रभात तिर्की, प्रवर्तन/लेखा अधिकारी, CMPFO, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर का 31.12.2024 का पत्र।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री शिशिर प्रभात तिर्की,
फ्लैट नंबर 501, रुद्राक्ष अपार्टमेंट शिवम कॉलोनी,
भुईफोर पी.ओ. के.जी आश्रम,
धनबाद, झारखण्ड - 826001
tirkeysishir@gmail.com, मोबाइल नंबर: 9431377244

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-2132/MCOL/6/2025-RU-IV

कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (कोयला मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन) के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थानांतरण के संबंध में श्री शिशिर प्रभात तिर्की द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा सीएमपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र दिनांक 31.12.2024 के संदर्भ में दिनांक 03.06.2026 को सर्किट हाउस, बोकारो (झारखंड) में आयोग के समक्ष आयोजित सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की दिनांक: 03.06.2026
सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री शिशिर प्रभात तिर्की, प्रवर्तन/लेखा अधिकारी, कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (CMPFO), क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर ने अपने ई-मेल दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से संलग्न पत्र दिनांक 31.12.2024 सहित आयोग के समक्ष अपनी स्थानांतरण संबंधी शिकायत प्रस्तुत की है। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रवर्तन/लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत उनका स्थानांतरण क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में किया गया है, जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36026/3/85-Estt(SCT) दिनांक 24.06.1985 तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की फाइल संख्या 24/01/2013-Coord दिनांक 01.07.2013 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण यथासंभव स्थानीय स्तर पर अथवा न्यूनतम दूरी पर किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि उनका स्थानांतरण न्यूनतम दूरी के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखंड) में किया जाए।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों की अवधि के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. आयोग के नोटिस के अनुपालन में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

4 मामले में अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत अद्यतन रिजॉइंडेर दिनांक 22.11.2025 के अनुसार आयोग द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28.04.2025 के तहत प्रार्थी का स्थानांतरण एवं पदस्थापन कार्यालय आदेश संख्या 203/2025 दिनांक 12 सितम्बर 2025 के माध्यम से निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय रांची-1 (झारखण्ड) में किया गया। तथापि, इस स्थानांतरण के उपरांत भी प्रार्थी को देय Transfer Grant Benefits प्रदान नहीं किया गया।प्रार्थी का आरोप है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी मामलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। पूर्व में भी क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (7010) में स्थानांतरण Liaison Officer को गुमराह कर दूरस्थ क्षेत्र में भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया था।अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि क्षेत्रीय कार्यालय रांची-1 (झारखण्ड) में स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में देय Transfer Grant Benefits शीघ्र प्रदान किया जाए तथा भविष्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए

5. मामले में दिनांक 03.06.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन को सिटिंग नोटिस जारी किया गया | अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई |

6. सुनवाई में कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पदाधिकारी व् अभ्यावेदक उपस्थित रहे

7. प्रार्थी ने अवगत कराया कि उनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन कार्यालय आदेश संख्या 203/2025 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय, रांची-I (झारखण्ड) में किया गया था। तथापि, उक्त स्थानांतरण के उपरांत भी उन्हें देय Transfer Grant Benefits प्रदान नहीं किए गए हैं। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में देय Transfer Grant Benefits शीघ्र प्रदान किए जाएँ। इस संबंध में कोयला खान भविष्य निधि संगठन के उपस्थित अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं के अनुरोध (on request transfer) पर स्थानांतरण प्राप्त किया गया है। अतः प्रचलित नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में Transfer Grant Benefits देय नहीं होते हैं।

8. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. कोयला खान भविष्य निधि संगठन यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु नामित Liaison Officer को समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही, अभ्यावेदक को कार्यालय में सुलभ एवं अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराते हुए बैठने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रचलित नियमों के अनुसार प्रदान की जाएँ।

II. कोयला खान भविष्य निधि संगठन से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस मामले को आयोग में बंद किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi